न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली (1)

नं0 ...11.../19 तारीखरजू:- 7.3.19

उनवानः- रामस्वरूप बनाम राकेश वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

क	फर्द अहकाम	
7.3.19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 04/04/2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 402 रकवा 0.10 है0, ग्राम नागल शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी तिथि तक वादग्रस्त भूमि का वेस्ट डेमेज व भूमि उपयोग परिवर्तन नही करने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 04/04/2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	839-42 7/3/19
4.4.19	प्रार्थी वकील उप0। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेशचंद शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। जवाब पेश करने दिनांक 17.5.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
29/8/24	पत्रावली पेश हुई। वादी प्रार्थी वकील की दावे में सम्मन इन्कारी के साथ प्राप्त हुए हैं। प्रतिवादी /गैरसायलान की ओर से श्री राजकुमार सिंह राजावत ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि प्रार्थी ने नोटिस कोर्ट मना किया है। अतः प्रार्थी की तामील मानी जाती है। प्रार्थी वकील को बार-बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद अनुपस्थित न्यायालय रहने से प्रार्थनापत्र अदम हाजरी अदम पैरवी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)